कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 403 /12–1 दिनांक 06/ 08/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु 0.20 हे0 वन भूमि नगर पंचयत गजा कों प्रत्यावर्तन हेतु (प्रस्ताव संख्या–**FP/UK/Others/29354/2017**)

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक–08बी0/यू0सी0पी0/09/36/2022/एफ0सी0/355 दिनांक 08–06–2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित से इंगित कमियों का निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक–139/न0पं0/2022–23, गजा, दिनांक 05–08–2022 से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	The project is not a site-specific activity. Details of alternatives examined and the reason for their rejection is not furnished. The State Government is requested to provide complete justification, establishing its inescapability for locating the project in the forest area.	**बिन्दु संख्या–01** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है, कि उक्त परियोजना एक स्थल विशिष्ट गतिविधि नही है, किन्तु कूडा निस्तारण हेतु वर्तमान में कोई अन्य कूड़ा निस्तारण स्थल उपयुक्त न होने के कारण ग्रामीणों एव अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा क्षेत्र में यदा–कदा कूडा फेका जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को असुविधायें हो रही है, तथा भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना की छवि भी धुमिल हो रही है। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आबादी क्षेत्र से दूर वृक्ष विहीन वन भूमि का चयन कूड़ा निस्तारण हेतु किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त क्षेत्र का आर0सी0सी0 पिल्लरों द्वारा सीमांकन तथा सीमांकित क्षेत्र के अन्दर ईटों/पत्थरों की दीवारों से भी किया जायेगा ताकि निस्तारित कूड़ा किसी भी दशा में इधर उधर न फैले एवं क्षेत्र की सुन्दरता बनी रहे।
2	The adverse impacts of the waste disposal on the nearby forests and wildlife are not provided with the proposal. State Government may submit the measures to mitigate the ill effects of the proposal on the forest's & wildlife.	**बिन्दु संख्या–02** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराना है कि परियोजना के निर्माण के पश्चात उक्त स्थल में वासरत वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सभी उपायों को किया जायेगा जिस हेतु उनके द्वारा मु0–3.36 लाख का वन्यजीव मिटिगेशन प्लान तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–01)**
3	'No' is mentioned for Environment Clearance (EC) at para H in part I. However, EC is required for trenching ground. State Government is requested to provide the EC for the proposal.	**बिन्दु संख्या–03** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऐसे ट्रेचिंग ग्राउंड जिसका सैनेटरी लैंडफिल में निस्तारण किया जाता है तथा 05 मिट्रिक टन से ज्यादा कूडा उत्सर्जित करने वाली निकायों को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है, किन्तु नगर पंचायत गजा एक नवसृजित नगर पंचायत है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य किये जाने हेतु निकाय द्वारा वर्णित वनभूमि का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर प्रस्तुत किया गया है, तथा उक्त भूमि पर सैनेटरी लैंडफिल का निर्माण भी नही करवाया जायेगा तथा निकाय की जनसंख्या वर्ष 2011 की गणना के अनुसार 2098 है, जिसके अनुसार निकाय में कूडा

		उत्सर्जन की मात्रा केवल 0.5 मिट्रिक टन से भी कम है। इस सम्बन्ध में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 08 अप्रैल 2016 की गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–02)**
4	NPV is calculated at old rates. State Government is requested to submit/upload NPV calculation sheet as per the new rates.	**बिन्दु संख्या–04** के अनुपालन में एन0पी0वी की कैल्क्यूलेशन शीट भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3/2011–एफ0सी0(Vol-I) दिनांक 06–01–2022 द्वारा निर्धारित गणना पत्र नई दरानुसार तैयार कर ऑनलाईन पोर्टल पर भाग–01 में तथा भाग–02 के एडिशनल कॉलम में अपलोड कर दी गयी है, जिसकी मूलप्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–03)**
5	Plantation scheme of 100 trees to be planted in blank spaces is submitted. State Government is requested to submit the plantation scheme of planting 400 trees mentioning the name and geo-coordinates of the area along with geo-referenced digital map of the area.	**बिन्दु संख्या–05** के क्रम में आपके द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों के स्थान पर 400 वृक्षों का संशोधित वृक्षारोपण प्रॉक्कलन तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जिसमें वृक्षारोपण स्थल का नाम, जी0पी0एस0 लोकेशन, जीयो रेफरेंस्ड एवं टोपोशीट मैप की मूल प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी मूल प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम काग्रवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–04)**
6	In District profile given in Part II the data related to CA area is not commensurate with the forest land diverted. State Government may review the same.	**बिन्दु संख्या–06** के क्रम में अवगत कराना है जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत 02 वन प्रभाग (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग एवं टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी) पड़ते है, तथा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा केवल अपने क्षेत्रान्तर्गत किये गये क्षतिपूरक वनीकरण की प्रगति का विवरण ही भाग–02 के District profile में अंकित किया गया है।
7	Muck disposal plan not found uploaded. State Government may submit/upload the complete muck disposal plan.	**बिन्दु संख्या–07** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का सपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित होने वाले मलवे का पूर्ण उपयोग कूड़ा निस्तारण हेतु चयनित स्थल के समतलीकरण हेतु ही किया जाना है, तथा किसी भी दशा में वन भूमि अथवा अन्य स्थलों पर नही फेका जायेगा। **(संलग्नक–05)** तथा स्थल का सीमांकन ईटों/पत्थरों की दीवारों द्वारा किया जायेगा जिस हेतु उक्त परियोजना में मलवा निस्तारण योजना लागू नही होता है। जिस कारण से उक्त प्रकरण के सापेक्ष प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल प्लान प्रस्तुत/अपलोड नही की गयी है।

<u>संलग्न– 04 प्रतियों में :–</u>

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 403 / 12–1 दिनांकित।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–</u>

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, महोदय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गजा (टिहरी गढवाल को उनके पत्रांक–139/न0पं0/2022–23, गजा दिनांक 05–08–2022 के क्रम में।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गजा जिला–टिहरी गढवाल
Email Id:eonpgaja@gmail. Mob- +919548201627

E-mail/Speed Post/By hand

पत्र प्राप्ति की तिथि 05/08/2022
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
प्राप्तकर्ता का पदनाम मु० प्र० सहा०
कार्यालय का नाम--न व प्र मुनि-की-रेती

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वनप्रभाग
मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।

पत्रांकः– 139/न0पं0/2022–23, गजा

दिनांकः– 05 अगस्त, 2022

विषयः– **गजा–खाड़ी मोटर मार्ग पर स्थित कूड़ा स्थल वन भूमि हस्तान्तरण के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक–08बी0/यू0सी0पी0/09/36/2022/एफ0सी0/355 दिनांक 08–06–2022 में 07 इंगित कमियों के निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती के पत्रांक सं0:– RO.NO–8316/12–1 दिनांक 17/06/2022, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुसार गजा–खाड़ी मोटर मार्ग पर स्थित कूड़ा स्थल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा 07 इंगित कमियां पाई गई हैं जो भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/09/36/2022/एफ0सी0/355 दिनांक 08–06–2022 में उल्लिखित हैं। उक्त के क्रम में 07 इंगित कमियों के निराकरण हेतु बिन्दु आपकी सेवा में प्रस्तुत/प्रेषित हैं।

अतः उपरोक्तानुसार विषयगत प्रकरण पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल के वीडियो कॉन्फ्रेंस दिनांक 03/07/2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोक्त

मानचित्रकार
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती
05/08/2022

भवदीय

(सुशील बहुगुणा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत, गजा टि0ग0

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गजा
टिहरी गढ़वाल

क0सं0	आपत्ति	निराकरण / उत्तर
01	The project is not a site-specific activity. Details of alternatives examined and the reason for their rejection is not furnished. The State Government is requested to provide complete justification establishing its inescapability for locating the project in the forest area.	**बिन्दु संख्या–01** के क्रम में स्पष्ट करना है कि उक्त परियोजना एक स्थल विशिष्ट गतिविधि नही है, किन्तु उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत उत्सर्जित होने वाले कूडे के निस्तारण हेतु वर्तमान में कोई कूड़ा निस्तारण स्थल उपयुक्त न होने के कारण क्षेत्र के कूड़े को यदा कदा ग्रमीणों एवं अन्य व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा फेंका जा रहा है, जिससे क्षेत्र वासियों को असुविधा हो रही है, तथा **भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना** की छवि भी धुमिल हो रही है, जिस हेतु क्षेत्रान्तर्गत उत्सर्जित होने वाले कूड़े के निस्तारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र से दूर वन क्षेत्र में स्थल का सीमांकन करते हुये कूडा निस्तारण जोन का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त अन्य जो भी वैकल्पिक स्थल उपलब्ध थे वे सभी ग्रामों के अन्दर व समीप थे जिस कारण वैकल्पिक क्षेत्रों का चयन उक्त प्रस्ताव हेतु नहीं किया गया।
02	The adverse impacts of the waste disposal on the nearby forests and wildlife are not provided with the proposal. State Government may submit the measures to mitigate the ill effects of the proposal on the forests & wildlife.	**बिन्दु संख्या–02** के क्रम में अवगत कराना है कि परियोजना के निर्माण से उक्त स्थल में वासरत वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मु0–3.36 लाख का वन्यजीव मिटिगेशन प्लान तैयार कर मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–01)**
03	'No' is mentioned for Environment Clearance (EC) at para H in part I. However, EC is required for trenching ground. State Government is requested to provide the EC for the proposal.	**बिन्दु संख्या–03** के क्रम में स्पष्ट करना है कि ऐसे ट्रेचिंग ग्राउंड जिसका सैनेटरी लैंडफिल में निस्तारण किया जाता है तथा 05 मिट्रिक टन से ज्यादा कूडा उत्सर्जित करने वाली निकायों को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है किन्तु नगर पंचायत गजा एक नवसृजित नगर पंचायत है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य किये जाने हेतु निकाय द्वारा वर्णित वनभूमि का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर प्रस्तुत किया गया है, तथा उक्त भूमि पर सैनेटरी लैंडफिल का निर्माण भी नही करवाया जायेगा तथा निकाय की जनसंख्या वर्ष 2011 की गणना के अनुसार 2098 है, जिसके अनुसार निकाय में कूडा उत्सर्जन की मात्रा केवल 0.5 मिट्रिक टन से भी कम है। इस सम्बन्ध में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 08 अप्रैल 2016 की गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–02)**
04	NPV is calculated at old rates. State Government is requested to submit/upload NPV calculation sheet as per the new rates.	**बिन्दु संख्या–04** के अनुपालन में एन0पी0वी गणना पत्रक नई दरानुसार तैयार कर ऑनलाईन पोर्टल पर भाग–01 एवं भाग–02 में यथास्थान अपलोड कर दी गयी है, जिसकी मूलप्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–03)**

05	Plantation scheme of 100 trees to be planted in blank spaces is submitted. State Government is requested to submit the plantation scheme of planting 400 trees mentioning the name and geo-coordinates of the area along with geo-referenced digital map of the area.	**बिन्दु संख्या–05** के क्रम में 400 वृक्षों का संशोधित वृक्षारोपण योजना, मय स्थल का नाम एवं जीयो रेफरेंस्ड मैप की मूल प्रति सहित अग्रिम काय्रवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–04)**
06	In District profile given in Part II the data related to CA area is not commensurate with the forest land diverted. State Government may review the same.	**बिन्दु संख्या–06** के अनुपालन में कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
07	Muck disposal plan not found uploaded. State Government may submit/upload the complete muck disposal plan.	**बिन्दु संख्या–07** के क्रम में स्पष्ट करना है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित होने वाले मलवे का पूर्ण उपयोग कूडा निस्तारण हेतु चयनित स्थल के समतलीकरण हेतु ही किया जाना है, तत्पश्चात स्थल का सीमांकन ईटों/पत्थरों की दीवारों द्वारा किया जायेगा जिस हेतु उक्त परियोजना में मलवा निस्तारण योजना लागू नही होता है। जिस कारण से उक्त प्रकरण के सापेक्ष मक डिस्पोजल प्लान प्रस्तुत/अपलोड नही की गयी है। **(संलग्नक–05)**

(सुशील बहुगुणा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गजा
टिहरी गढवाल।

TABLE OF CONTENT

CHAPTER NO.	TITLE	PAGE NO.
1	**INTRODUCTION**	
1.1	Land Transfer Proposal of Nagar panchayat Gaja.	01
2.0	**IMPACTS OF PROJECT ON THE HABITAT, FLORA AND FAUNA**	02
2.1	Positive Impact	2.1
3.0	**IMPACT MITIGATION PLAN**	03
3.1	Components	4
3.2	Wildlife Conservation Plan	4
3.3	Forest Protection	4
3.4	Fire control	4
3.5	Conservation Plan for Management of Wildlife	4
4.0	**Financial Forecast**	04
4.1	THE FINANCIAL OUTLAY OF THE IMPACT MITIGATION CUM WILDLIFE CONSERVATION PLANS IS AS FOLLOW	4

1

INTRODUCTION

Chapter-1

Trenching Ground Yard/Forest Land Transfer, Range- Narendra Nagar Van prabhag Tehri Garhwal:- The proposed Forest Land Transfer 0.20 Hect. (50x40=2000 sq mt.) The area proposed for Solid Waste Management Which will be done by Nagar Panchayat Gaja. Above Land Situated at Gaja-Khadi Motor Road. All type of Waste will be treated at above land in respected solid waste mangment Plant.The layout plan and location of project on toposheet is as shown below:

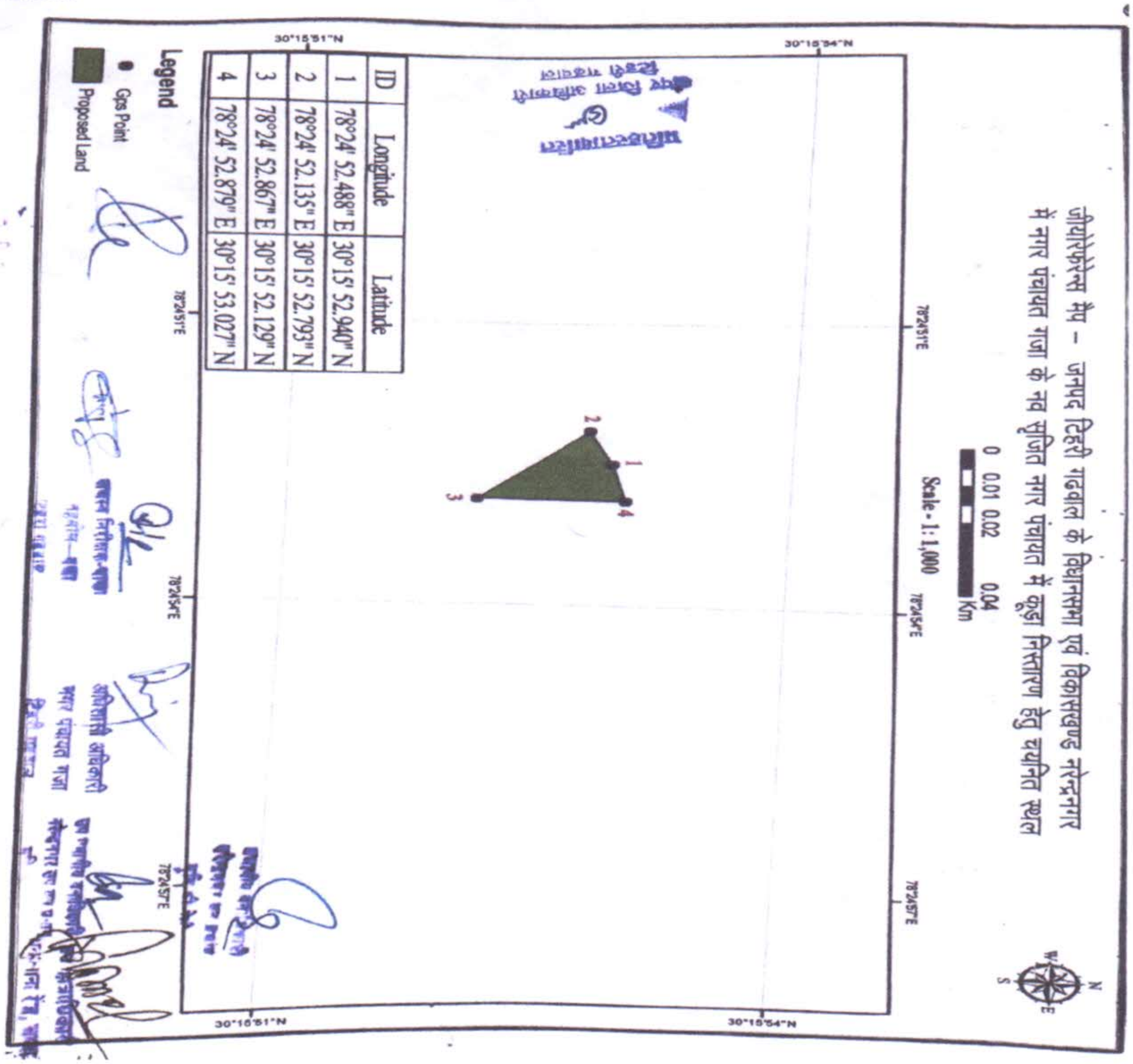

डिजिटल मैप – जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा एवं विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत में कूड़ा निस्तारण हेतु चयनित स्थल

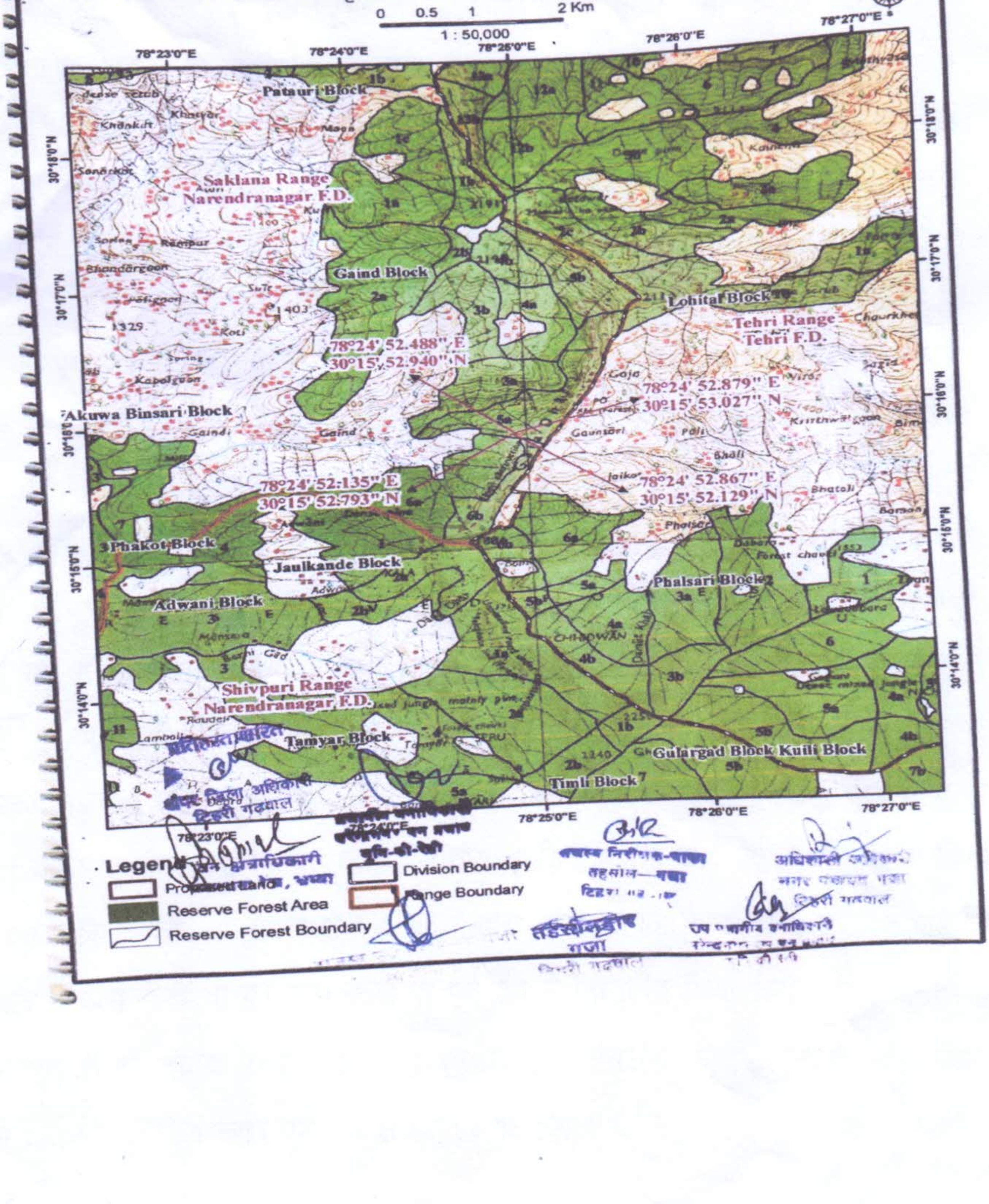

Chapter 2
IMPACTS OF THE PROJECT ON THE HABITAT, FLORA AND FAUNA

Positive Impact

- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में नव सृजित नगर पंचायत, गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु उपयुक्त भूमि पर नगर पंचायत, गजा द्वारा भारत सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य हेतु 01 प्लांट स्थापित किया जाना है जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत, गजा के चारों वार्डों में उत्सर्जित होने वाले जैविक कूड़े से खाद बनाकर कृषि उत्पादों की पैदावार में उपयोग किया जायेगा और साथ ही पर्यावरण को अनावश्यक कचरे से पैदा होने वाली बीमरियों से दूषित होने से बचाया जायेगा। इसी क्रम में पर्यावरण, वनस्पतियों और जीवों पर इस परियोजना का प्रभाव पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेगा क्योंकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट हेतु 0.20 है0 भूमि पर बनाया जाना है जिस पर बाउन्ड्री के चारों ओर से आर0सी0सी0 की दीवारों का निर्माण किया जाना है जिससे किसी भी प्रकार से जंगली जीवों/जानवरों को परिवेश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तथा उक्त प्लांट स्थापित करने के उपरान्त निकाय में उत्सर्जित होने वाला कूड़ा उस स्थल में रहने वाले जीव/जन्तुओं के सम्पर्क में नहीं आयेगा क्योंकि नगर पंचायत, गजा में उत्सर्जित होने वाले कूड़े को पूर्ण रूप से प्रस्संकरण/निस्तारित किया जाता है। जिससे पर्यावरण में रहने वाले जीव/जानवरों तथा पेड़/पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान होने का खतरा नहीं होगा। उक्त स्थल पर नगर पंचायत, गजा के समीप ग्रामसभाओं से उत्सर्जित होने वाले कूड़े को खुले में उक्त स्थल पर डाला जाता था परन्तु अब नगर पंचायत, गजा द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु प्लांट स्थापित किया जा रहा है कि जिसमें सभी प्रकार के कूड़े का निस्तारण किया जायेगा तथा पूर्व में अजैविक कूड़े जो पूरे क्षेत्र में फैला रहता था को उक्त स्थल पर पूर्ण रूप से निस्तारित किया जायेगा जो पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा तथा भारत सरकार द्वारा संचालित योजना **"स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना"** का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से धरातल पर होगा।

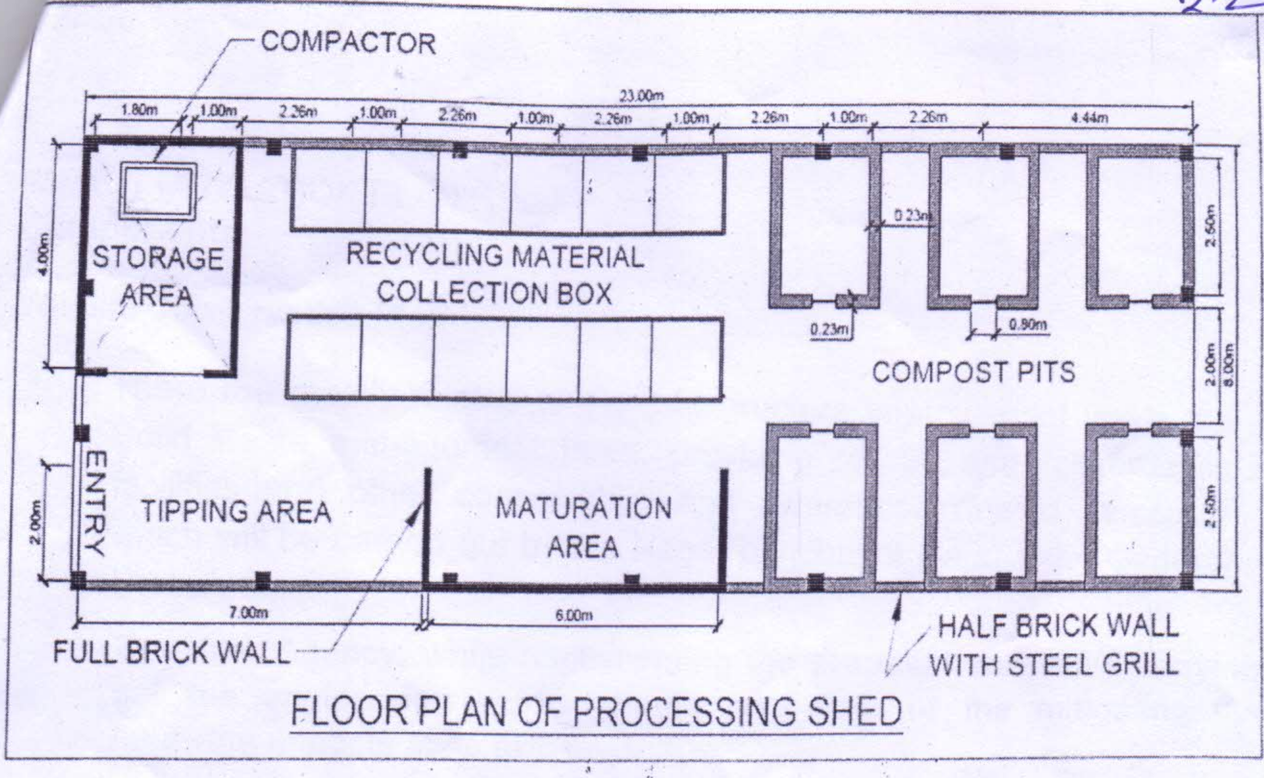

Fig. Layout of the tipping & plastic segregation shed

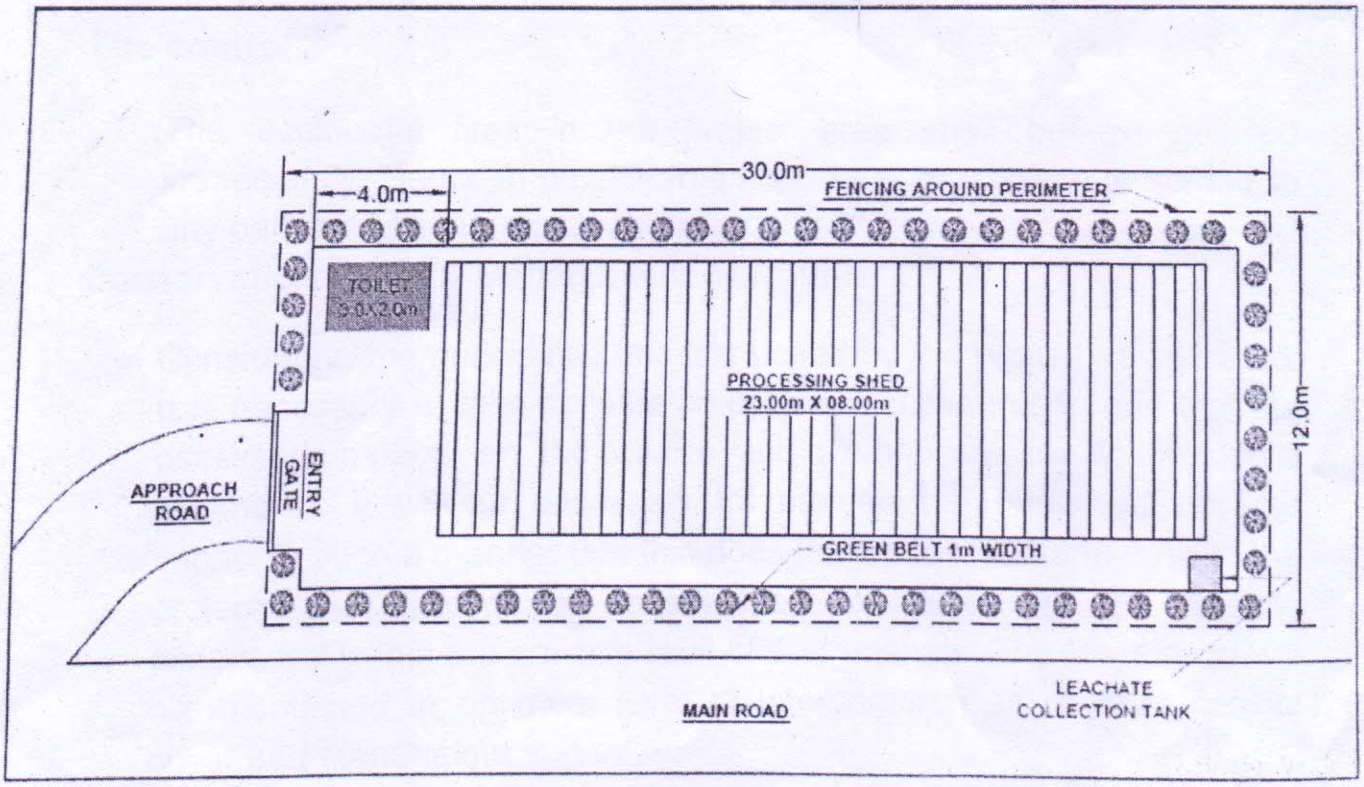

Chapter 3

IMPACT MITIGATION PLAN

Components:-

Wildlife Conservation Plan

There are mostly related to the infrastructure improvement inside the Solid waste management Plant, providing rescue and rehabilitation facilities and other conservation and awareness related measures which will be carried out by the Nagar panchayat Gaja, Tehri Garhwal Uttarakhand.

The User Agency, while implementing the proposal and while carrying out the engineering works should take care of the mitigating the following impacts at its own cost.

Forest Protection

No damage to any green cover other the proposed project area should be done by the user agency Rigid protection will be given to the natural forms and plantation for their effectiveness as shelter belt.

Fire control

The accidental fires in the project area shall be extinguished immediately. Hence in project area no fire will be allowed to spread to any part including nearest vegetation.

Conservation Plan for Management of Wildlife

Considering the anticipated impacts posed by the project as indicated, It is necessary to take suitable amelioration measures to see that the assessed impacts on the wildlife and its habitat, due to project is minimized. It will be necessary to manage the perceived adverse impact in such a manner that this does least possible harm despite the project. The strategy of conservation measures will be properly juxtaposed within the cruising radii of wild animals. The Vegetation will be maintained in optimum level of interspersion as regards density cover and standheight.

Chapter 04

Budget Requirement/Financial Forecast of the Complete Project

The importance as well as Financial Outlay of the Impact Mitigation cum Wildlife Conservation Plan is as follows:-

- We are proposing our mitigation plan in such a manner which does not include only reestablishment of natural habitat of wild life (like water pond) but it will also help to strengthen rapid response team to handle man human conflict.
- We are proposing man power which also help to generate employment to local people.
- To make a healthy environment we have proposed dustbins, as well as signage board in nearby village area.
- It also includes purchasing of camera trap for monitoring of wild life.
- Now a days Lantenna seems a very big problem for visibility for wildlife as well as for human being, sometimes it becomes a main reason for human wildlife conflicts so we have proposed lantenna eradication using CR Babu technique. We are focusing surrounding area of villages.

Forest Area- गजा–खाड़ी –मोटर मार्ग ,नरेन्द्रनगर रेंज, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग जिला– टिहरी गढ़वाल, वन ब्लॉक का नाम–गैण्ड कक्ष संख्या :– 5 अ

Details of Proposed work in Mitigation plan-

Sr. no.	Description of Work	phy	fin	rate (In INR Lac)	Amount (In INR Lac)
1	Creation of water holes for wildlife and Restoration of water streams along the Transmission Line. (50000 ltr each)	2	Number	0.50	1.0
2	Human-wildlife conflict Mitigation and awareness program	3	meetings	0.05	0.15
3	Establishment of Dustbin for Garbage	3	number	0.15	0.45
5	Signage Board	5	number	0.08	0.40
6	Camera Trap (Purchaing of Camera Trap)	3	number	0.20	0.60
7	Lantenna Eradiction	3	hec		
	1st Year	3	hec	0.14	0.42
	2nd Year	3	hec	0.04	0.12
	3rd Year	3	hec	0.02	0.06
	Sub-Total				3.2
8	Office Expense and Contingency (05% of Total Financial)				0.16
	GRAND TOTAL				**3.36**

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि–की–रेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(नरेन्द्रनगर)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
नरेन्द्रनगर राजि
नरेन्द्रनगर (टि०ग०)

संलग्नक-02

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 861] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2016/चैत्र 19, 1938
No. 861] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2016/CHAITRA 19, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2016

का.आ. 1357(अ).—ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 का प्ररुप भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि.451 (अ) तारीख 3 जून, 2015 को भारत के राजपत्र भाग II, खंड-3, उप खंड (i) में उसी तारीख को प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उनसे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000 को अधिक्रांत करते हुए उक्त अधिसूचना के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए थे।

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 3 जून, 2015 को उपलब्ध कराई गईं थीं;

निर्धारित अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आपत्तियों तथा टिप्पणियों पर केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया था;

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमणों से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

(द) क्रमवर्ती प्रसंस्करण सुविधा या सामग्री पुन:प्राप्ति सुविधाओं या द्वितीयक भंडारण सुविधा को गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को परिवहन करना;

(ध) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन समय-समय पर यथासंशोधित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार करना;

(न) समुदाय सुविधा के आस-पास दुर्गंध के नियंत्रण और स्वास्थ्य रक्षक स्थितियों के अनुरक्षण के अध्यधीन समुदाय स्तर पर घरेलू कंपोस्टिंग, बायोगैस उत्पादन, अपशिष्ट के विकेंद्रित प्रसंस्करण में समुदायों को अंतर्वलित करना;

(प) दो वर्षों के भीतर रासायनिक खाद के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना और स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित सभी उद्यानों, बगीचों में कंपोस्ट का प्रयोग करना और जहां कहीं संभव हो इसके अधिकारिता के अधीन अन्य स्थानों पर भी ऐसा करना अनौपचारिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण क्षेत्र द्वारा की जाने वाली पुनर्चक्रण पहलों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा सकते हैं;

(फ) उपयुक्त प्रौद्योगिकी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रौद्योगिकियां भी हैं, को अंगीकृत करते हुए और समय-समय पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ठोस अपशिष्ट के विभिन्न अवयवों के उचित उपयोग के लिए स्वयं या निजी क्षेत्र के सहभागी या किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबंधित अवसंरचना के संनिर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण को सुकर बनाना: परिवहन लागत और पर्यावरणीय आघात को न्यूनतम करने के लिए विकेन्द्रीयकृत प्रसंस्करण को अधिमान्यता देना जैसे.-

(क) जैव-मिथैनिकरण, सूक्ष्म जैविक कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, अनारोबिक डाईजेशन या जैव निम्नकरणीय-अपशिष्टों के जैव स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य समुचित प्रसंस्करण;

(ख) अपशिष्ट के दहनशील भाग के लिए अवशिष्ट जनित ईंधन सहित अपशिष्ट से ऊर्जा प्रक्रियाएं या अपशिष्ट आधारित विद्युत प्लांटों या सीमेंट भट्टियों को फीड स्टॉक के रूप में आपूर्ति;

(ब) इन नियमों के अधीन विहित रीति से अवशेष अपशिष्टों के निपटान के लिए अनुसूची-I के अनुसार स्वास्थ्यकर भरण स्थलों और आनुषंगिक अवसंरचना का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से करना;

(भ) वार्षिक बजट में पूंजी निवेश के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए निधियों का पर्याप्त उपबंध करना और यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय निकाय के वैवेकिक कृत्यों के लिए निधियां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा इन नियमों के अनुसार स्थानीय निकाय के अन्य बाध्यकारी कृत्यों के लिए आवश्यक निधियों की अपेक्षा पूर्ण करने के पश्चात् की आबंटित की जाएं;

(म) प्ररूप-1 में अपशिष्ट प्रसंस्करण, शोधन या निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिए प्राधिकार अनुदत्त करने के लिए आवेदन करना जिसके अंतर्गत यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्वास्थ्यकर भरण स्थल सहित प्रतिदिन 5 मीट्रिक टन से अधिक अपशिष्ट हो;

(य) प्राधिकार की विधिमान्यता समाप्त होने से कम से कम साठ दिन पूर्व प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन करना;

(यक) उत्तरवर्ती वर्ष के 30 अप्रैल या उसके पूर्व आयुक्त या निदेशक, नगरपालिका प्रशासन को या प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप-4 में वार्षिक रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करना;

(यख) वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव या ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजी जाएगी;

(यग) कार्मिकों जिसके अंतर्गत संविदा कार्मिकों और पर्यवेक्षकों भी है, को पृथक किए गए अपशिष्ट के द्वार-द्वार से संग्रहण के लिए और प्रसंस्करण या निपटान सुविधा को प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन के दौरान अमिश्रित अपशिष्ट के संबंध में प्रशिक्षण;

(यघ) यह सुनिश्चित करना कि प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात् वर्दी, प्रदीप्त जैकट, हाथ के दस्ताने, बरसाती, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के प्रहस्तन में लगे सभी कार्मिकों को उपलब्ध कराए और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए;

(यङ.) किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मार्केट काम्पलैक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व सुनिश्चित करने की भवन योजना में पृथक किए गए अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए;

संलग्नक–03

प्रारूप–50

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र एवं विकास खण्ड नरेन्द्रनगर के नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु उपयुक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु नगर पंचायत गजा को प्रत्यावर्तन।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2011–एफ0सी0(Vol-I) दिनांक 06–01–2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी..........	V
2. हरियाली का घनत्व.......	0.40 MDF
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0.........	12,92,850.00 Per Ha.
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....	0.20 Ha.
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि......	02,58,570.00 या **02,58,570.00**

वन क्षेत्राधिकारी
नरेन्द्रनगर राजि
नरेन्द्रनगर (टि0ग0)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(नरेन्द्रनगर)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
मुनि–की–रेती

संलग्नक-04

आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं उसका 10 वर्षो तक रख–रखाव का प्रॉक्कलन।					
नगर पंचायत गजा क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा निस्तारण हेतु 0.20 हे0 वन भूमि के सापेक्ष आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षों का (400 वृक्षों) का वृक्षारोपण एवं उसका 10 वर्षो तक रख–रखाव प्रॉक्कलन।					
जिस विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाना है– नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि–की–रेती					
वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल :– (गैण्ड कक्ष संख्या–5अ) आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य					
जी0पी0एस0 लोकेशन :–$30^0$15' 48.308" 78^0 24' 51.683"					
रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल :– 400 पौध					
प्रथम चरण					
क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	सर्वेक्षण व सीमॉकन करना	1	Ha.	181.00	181.00
2	क्षेत्र में साधारण झाड़ी (जड़ सहित उखाडना एवं नष्ट करना)	1	Ha.	5436.00	5436.00
3	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	2	Ha.	16500.00	33000.00
4	गड्ढे खुदान करना (0.30×0.30×0.45)	400	No.	11.42	4568.00
5	पौधों की कीमत	400	No.	10.77	4308.00
6	अन्य आकस्मिक व्यय	1	Ha.	1000.0	1000.00
	योग प्रथम चरण				**48493.00**
1	गडढा भरान (0.30×0.30×0.45)	400	No.	2.04	816.00
2	पौध ढुलान मय 10 प्रतिशत ढुलान में क्षतिपूर्ति सहित 25 प्रतिशत नंगी जड़ व 75 प्रतिशत बैग पौध लदाई व उतराई सहित।	400	No.	7.79	3116.00
3	पौध रोपण	400	No.	3.84	1536.00
4	वृत्ताकार ट्री गार्ड क्रय करना मय जी0एस0टी सहित	400	No.	1200.00	480000.00
5	ट्री गार्ड का ढुलान मय लोडिंग, अनलोडिंग	400	No.	114.00	45600.00
	लोगो प्लेट पर सिंगल रंग से लिखना	400	No.	49.00	19600.00
6	रासायनिक खाद 25 ग्राम पति गड्ढा/कीटनाशक 16 प्रति कि0	400	No.	1.35	540.00
7	वनीकरण क्षेत्र में साईन बोर्ड लगाना मय कीमत सहित	1	No.	6609.00	6609.00
8	रख–रखाव रोपण वर्ष में 07 माह 1 श्रमिक कम से कम 10 हे0 क्षेत्र को आधार मान कर।	0.4	Per ha.	858.0	2402.40
9	अग्नि सुरक्षा कार्य	0.4	Per ha.	684.00	273.60
10	अन्य प्रकींण व्यय	0.4	Ha.	1700.0	680.00
	योग द्वितीय चरण				**560493.00**
	तृतीय चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	0.40	Ha.	858.00	4118.40
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	0.40	Per ha.	684.00	273.60
	योग				**4392.00**
	चतुर्थ चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	0.40	Ha.	858.00	4118.40
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	0.40	Per ha.	684.00	273.60
	योग				**4392.00**
	पंचम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	0.40	Ha.	858.00	4118.40
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	0.40	Per ha.	684.00	273.60

	योग				**4392.00**
	षष्ठम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	0.40	Ha.	858.00	4118.40
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	0.40	Per ha.	684.00	273.60
	योग				**4392.00**
	सप्तम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	0.40	Ha.	858.00	4118.40
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	0.40	Per ha.	684.00	273.60
	योग				**4392.00**
	अष्ठम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	0.40	Ha.	858.00	4118.40
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	0.40	Per ha.	684.00	273.60
	योग				**4392.00**
	नवम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	0.40	Ha.	858.00	4118.40
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	0.40	Per ha.	684.00	273.60
	योग				**4392.00**
	दसम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	0.40	Ha.	858.00	4118.40
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	0.40	Per ha.	684.00	273.60
	योग				**4392.00**
	कुल योग				**644122.00**
	या				**644000.00**

मानचित्रकार
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(नरेन्द्रनगर)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
नरेन्द्रनगर राजि
नरेन्द्रनगर (टि०ग०)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि–की–रेती

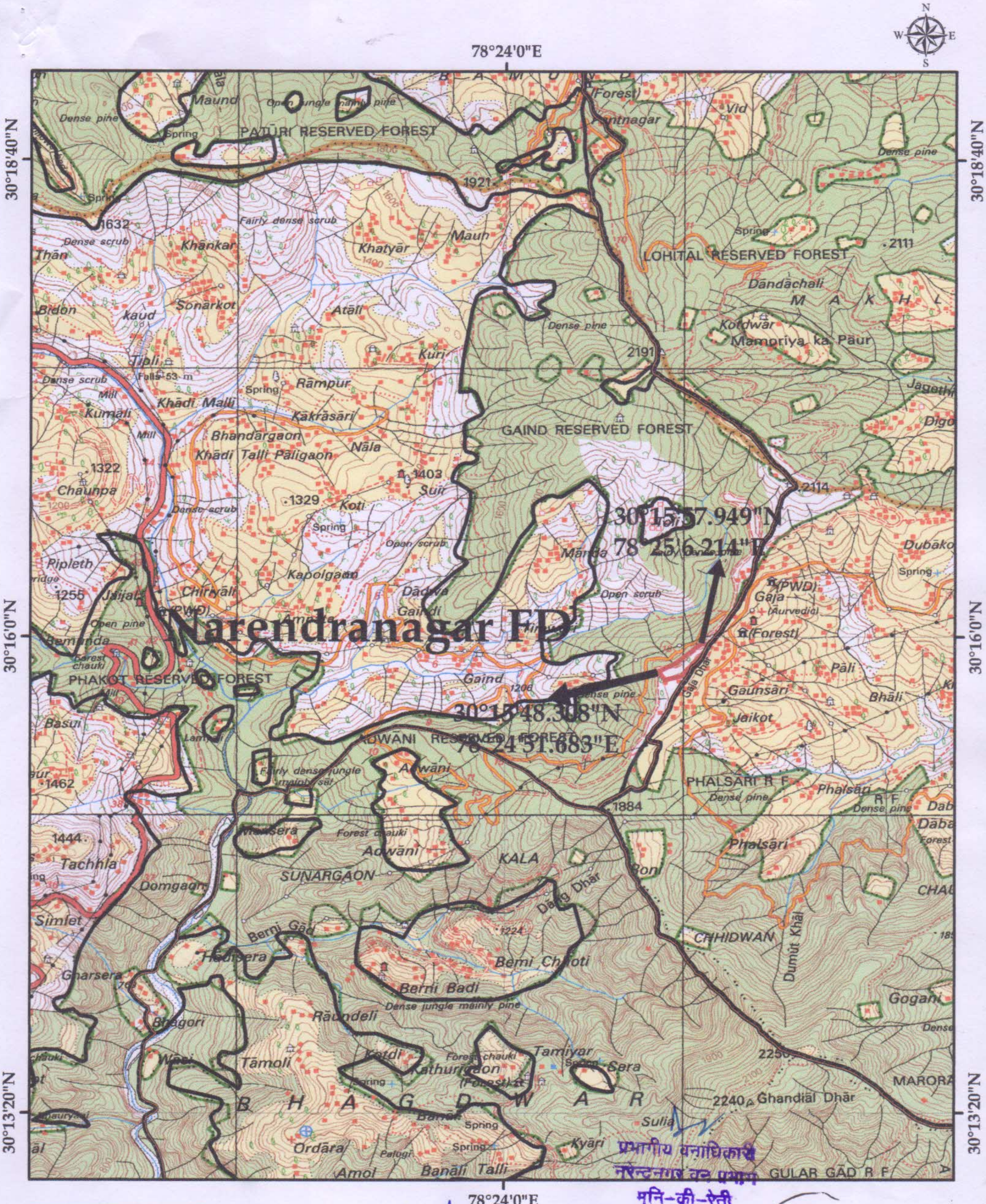

Legend

Range_Boundary

वन क्षेत्राधिकारी
नरेन्दनगर राजि
नरेन्दनगर (टि0ग0)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्दनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(नरेन्द्रनगर)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गजा
टिहरी गढवाल

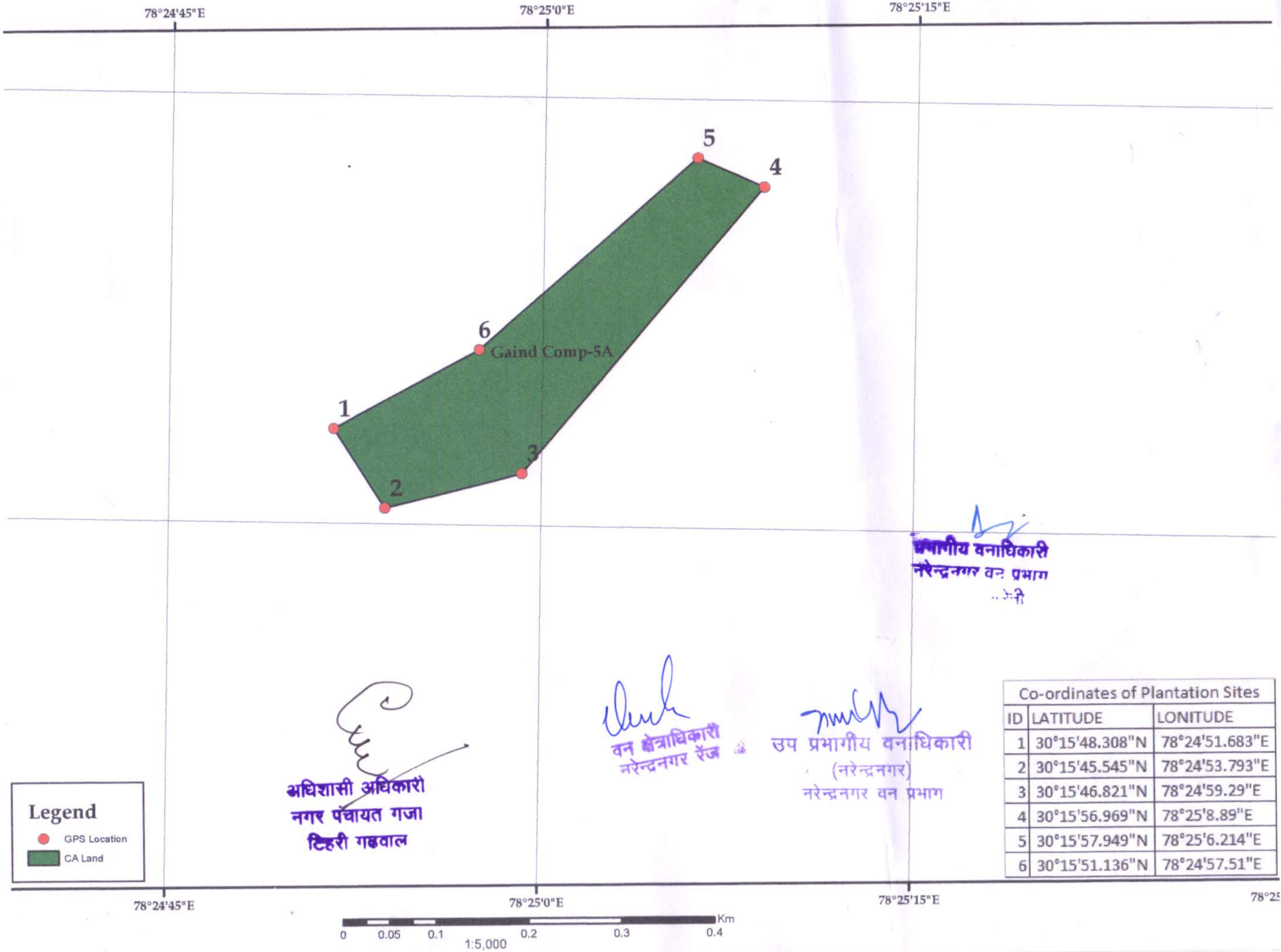

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गजा
टिहरी गढ़वाल

वन क्षेत्राधिकारी
नरेन्द्रनगर रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(नरेन्द्रनगर)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

Co-ordinates of Plantation Sites		
ID	LATITUDE	LONITUDE
1	30°15'48.308"N	78°24'51.683"E
2	30°15'45.545"N	78°24'53.793"E
3	30°15'46.821"N	78°24'59.29"E
4	30°15'56.969"N	78°25'8.89"E
5	30°15'57.949"N	78°25'6.214"E
6	30°15'51.136"N	78°24'57.51"E

संलग्नक-05

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित होने वाले सम्पूर्ण मलवे का उपयोग प्रस्तावित स्थल के समतलीकरण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा। उक्त मलवे को किसी भी दशा में वन भूमि अथवा अन्य स्थलों पर नहीं फेंका जायेगा।

प्रमाणितकर्ता
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गजा
टिहरी गढ़वाल

नाम– सुशील बहुगुणा
पदनाम– अधिशासी अधिकारी
मो0– 9548201627